तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	पीठासीन अ[illegible] प्रशा.राजकीय दौरे/ [illegible] राज कार्य में व्यस्त [illegible] दिनांक 21.2.18 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.3.18 नियत की जाती है। [illegible]	
	पीठासीन अधिकारी प्रशा.राजकीय दौरे/ कानून [illegible] /प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त [illegible] के कारण दिनांक 23.3.18 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.4.18 नियत की जाती है। [illegible]	
11-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। तहसीलदार की जवाब अप्राप्त [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 2-5-18 को पेश हो। [illegible]	
2-5-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० लोक अदालत की तहत निस्तारण हेतु पत्रावली कैम्प महापुरा में दिनांक 10-5-18 को पेश हो।	
10-5-18	पत्रावली आज लोक अदालत कोर्ट कैम्प महापुरा में पेश हुई। जवाब तहसीलदार प्राप्त होने पर शामिल किया गया। प्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन उपरांत मौके पर निरंतर काबिज होने एवं आवंटन निरस्त करने हेतु 14(4) की कार्यवाही आदिनांक तक नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अनुसार ग्राम महापुरा के साबिक भूमि ख० सं० 12 में से इसको 5 बीघा भूमि दिनांक 21.10.1975 को आवंटित की गयी थी उक्त आवंटित भूमि के नवीन खसरा नं० 12/12 बनाये गये। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं० 291 दिनांक 9.8.1976 को निष्पादित किया गया एवं संवत 2044 से 2047 की जमाबंदी में प्रार्थी को ख० सं० 12/12 रकबा 5 बीघा का गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परन्तु सेटलमेन्ट के बाद तैयार किये राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में १२ मी० के नवीन खसरा न०१२५ रकबा 1.70 हैक्टर किस्म चरागाह दिखा/दर्ज किया गया। नामान्तरकरण स०२०१ का नवीन रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के अनुसार सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान नामा० स०२०१ का अमल नहीं किया गया एवं प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त है। प्रकरण का अवलोकन कर मनन करने पर यह पाया की प्रार्थी को ग्राम महापुरा के खसरा (गत) ५१/२ किस्म चरागाह में से पाँच बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। इस आवंटन संबंधी आदेश का अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् २०५५-२०५७ में जरिये नामान्तरकरण स० २०१ निर्णय दिनांक 9.8.76 द्वारा कर दिया गया था परन्तु इसका अमल सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नहीं किया गया। सेटलमेन्ट कार्यवाही के बाद तैयार रिकॉर्ड में इस प्रकार प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि का प्रतीत होता है परन्तु यहाँ यह भी अवलोकनीय है कि प्रार्थी को चरागाह भूमि में से आवंटन किया गया एवं चरागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधि० 1956 की धारा 16 के अंतर्गत वर्णित भूमि प्रकार की भूमि है जिसमें खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते एवं कृषि हेतु भू आवंटन नियम 1970 के नियम के अंतर्गत चरागाह भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमतः दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को चरागाह में आवंटन/नियमितीकरण संबंधी इस प्रकरण एवं इस प्रकार के अन्य प्रकरण नियमतः आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो। तहसीलदार को निर्णय की प्रतिलिपि मय तहरीर वास्ते पालना भिजवाया जावे।	

Scanned by CamScanner